न्यायालय कलक्टर एवं जिला पंजीयक धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई. ए. एस. कलक्टर एवं जिला पंजीयक धौलपुर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 63/2018 (आर सी एम एस 2018/00150)

उनवानी प्रकरण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी तसीमों तहसील सैपऊ
2. शीला पत्नी रामनाथ जाति ठाकुर निवासी तसीमों तहसील सैपऊ
3. गुड्डी पत्नी कोमलसिंह जाति ठाकुर निवासी तसीमों तहसील सैपऊ ––अपीलान्टस्।

बनाम्

1. उप पंजीयक महोदय सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर----------रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश उप पंजीयक सैपऊ दिनांक 25.10.2018 अन्तर्गत धारा 72 भारतीय पंजीयन अधिनियम।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्टस् की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 26.03.2019

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील उप पंजीयक सैपऊ के आदेश दिनांक 25.10.2018 से असन्तुष्ट होकर पेश की है कि अपीलान्ट संख्या 1 खसरा नम्बर 313 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 322 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, कुल किता 2 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में 1/2 भाग एवं खसरा नम्बर 331 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, वाके ग्राम तसीमों में 1/4 भाग का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से मौके पर काबिज काश्त था एवं अपीलान्ट संख्या 1 को अपने हिस्से को हर तरह से रहन, वय मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार था। उक्त आराजी अपीलान्ट संख्या 1 के यहाँ दिनांक 10.07.2018 से अपीलार्थी संख्या 2 के पति रामनाथ पुत्र भोलाराम जाति ठाकुर के द्वारा गिरवी रखी थी। अब रामनाथ अपनी आराजी को अपीलान्ट संख्या 1 से वापिस लेना चाहता है, जिसके लिये अपीलान्ट संख्या 1 ने रामनाथ के हक में या उसके व्यक्तियों के हक में 7,00,000/–रूपये में विक्रय पत्र करने के लिए सेटलमेन्ट कर लिया रामनाथ पर विक्रय पत्र की राशि नहीं होने के कारण रामनाथ ने कोमल सिंह से

जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

राशि लेकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया रामनाथ एवं कोमल सिंह ने अपीलान्ट संख्या 1 को नगद 7,00,000/--रूपये देकर अपने खर्चे पर अपनी पत्नी शीला व कोमल सिंह की पत्नी गुड्डी जाति ठाकुर निवासी तसीमों के नाम दिनांक 25.09.2018 को 35,000/- के स्टाम्पों पर विक्रय पत्र तहरीर करा लिया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा सहर्ष अपने अगूँठा निशानी कर दिये तथा आराजी पर मौके पर बाहमी बंटवारे अनुसार केतागण का कब्जा काश्त करा दिया है। वर्तमान में उपरोक्त आराजी पर मौके पर केतागण काबिज है। अपीलान्टस् द्वारा विक्रय पत्र तहरीर कराकर कई बार रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 25.10.2018 को रेस्पोडेण्ट द्वारा विक्रय पत्र की चेकलिस्ट पर यह लिखते हुये अपीलान्टस् को वापिस कर दिया कि " विक्रेता ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद द्वारा बयनामा पेश किया लेकिन बयनामा में वर्णित आराजी खसरा नम्बर पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा मौके पर रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है। उप पंजीयक एवं तहसीलदार एक ही पद है उक्त भूमि पर स्थगन प्रभावी रहते हुये पंजीयन किया जाना उचित नहीं हैं, पंजीयन नहीं किया जा सकता मूल दस्तावेज वापिस किया जावे"। उप पंजीयक को किसी भी दस्तावेज को पंजीयन करने से मना करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक किसी भी न्यायालय द्वारा सम्बन्धित उप पंजीयक को प्रत्यक्ष रूप से किसी भरी दस्तावेज का पंजीयन करने से पाबन्द नहीं किया जावे। रेस्पोडेण्ट द्वारा विक्रय पत्र को पंजीयन ना कर विक्रय पत्र पर जिस स्थगन आदेश का नोट लगाया है वह स्थगन आदेश विक्रय पत्र में वर्णित आराजी पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा बंटवारे के दावा हुकम सिंह बनाम ओमप्रकाश में दिया गया है। उक्त स्थगन आदेश से अपीलान्ट संख्या 1 के विवादित आराजी में निहित स्वत्व पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। न्यायालय उपखण्डाधिकारी में लम्बित दावा मात्र बंटवारे का दावा है, जिसमें तहसीलदार को मात्र लैण्ड होल्डर की हैसियत से फोर्मल पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्ध किसी भी तरह की कोई दादर्शी नहीं चाही गई है एवं ना ही न्यायालय द्वारा तहसीलदार को प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह के स्थगन आदेश से पाबन्द किया है। अगर कोई स्थगन आदेश है तो उसका नोट नियम 39 के तहत लगाने का अधिकार है। यदि विक्रयपत्र पंजीयन नहीं हुआ तो सरकार की राजस्व हानि तथा अपीलान्टस् को भारी क्षति होगी, सह खातेदार अपने मकसद में कामयाव हो जायेगें। तथा जबरदस्ती भूमि उन्हें देनी पडेगी, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2018 को तहरीर हुआ, जब विक्रयपत्र तहरीर होकर रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ तब पता चला कि आराजी पर संतो बनाम ओमप्रकाश वाद पत्र में स्थगन है। उसे संतो वगैरा ने दिनांक 11.10.2018 को वापिस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे 16.10.2018 को स्वीकार किया दिनांक 16.10.2018 को ही उपखण्डाधिकारी ने दूसरे वाद पत्र हुकम सिंह बनाम ओमप्रकाश में जारी कर दिया, जिसकी जानकारी विक्रय पत्र पुनः रेस्पोडेण्ट के समक्ष होने पर हुई । रेस्पोडेण्ट ने विक्रय पत्र को पंजीयन करने से मना कर दिया तो अपीलान्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र कलक्टर एवं जिला पंजीयक को प्रस्तुत किया, जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा गया। उसके बाद भी उप पंजीयक ने विक्रय पत्र को पंजीयन करने से मना कर दिया। स्थगन आदेश रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए है, रिकोर्ड की यथास्थिति के लिए

जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर

तहसीलदार को नामान्तकरण रोकने का अधिकार है। जिसके लिये अपीलान्टस् सहमत है अपीलान्टस् न्यायालय के निर्णय के मुताविक राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन कराने के लिय सहमत है। अपीलान्टस् न्यायालय उपखण्डाधिकाररी के निर्णय के मुताविक राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन कराने के लिये भी सहमत है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक राजस्व रिकोर्ड में यथा स्थिति बनाये रखने के लिए सहमत है। अपीलान्टस् मात्र विकय पत्र को पंजीयन कराना चाहते हैं। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2018 को अपास्त कर विवादित विकय पत्र को पंजीयन करने हेतु रेस्पोडेण्ट को आदेश दिये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेण्ट को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उजदारी पेश करें ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होना स्वीकार है। विकय पत्र तहरीर कराया जाना स्वीकार है। दिनांक 25.10.2018 को विकेता ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी तसीमों द्वारा विवादित आराजी के बेचान के बावत एक विकय पत्र मालियत 7,00,000/– रूपये केता शीला पत्नी रामनाथ, गुड्डी पत्नी कोमल सिंह जाति ठाकुर निवासी तसीमों के हक में निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तत किया गया था, किन्तु उपरोक्त आराजी के बावत न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ के यहाँ विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 18.10.2018 से जारी स्थगन आदेश जारी किया गया कि विवादित आराजी के रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी 1.11.2018 तक बनायी रखी जावे। रेस्पोडेण्ट को जरिये तहसीलदार सैपऊ पक्षकार बनाया हुआ है । वर्तमान में उप पंजीयक एवं तहसीलदार एक ही आफिस में एक ही पद पर तैनात है और उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी बना हुआ था। उक्त प्रकार की अपनी पदीय स्थिति में न्यायालय के आदेश की पालना का ध्यान रखते हुए तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना से बचने का ख्याल रख कर सदभावना पूर्वक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विकय पत्र का पंजीयन किया जाना उचित नहीं मानते हुए पंजीयन नहीं किया जाकर मूल दस्तावेज पुस्तक संख्या 2 में दर्ज कर प्रस्तुतकर्ता विकेता को लौटा दिया गया। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जावे।

अपीलान्टस् ने अपनी अपील के समर्थन में असल विकय पत्र द्वारा ओमप्रकाश वहक शीला वगैरा, असल ई–ग्रास चालान दिनांक 24.9.2018, असल जमाबन्दी खाता संख्या 38 एवं 37, फोटो प्रति परिचय पत्र ओमप्रकाश फोटो प्रति आधार कार्ड शीला, एवं गुड्डी फोटो प्रति पेन कार्ड शीला एवं गुड्डी, फोटो प्रति अनापत्ति प्रमाण पत्र रहनमुक्ति, प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रर अस्वीकार करने का कारण दिनांक 25.10.2018, प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र द्वारा ओमप्रकाश, कलक्टर एवं जिला पंजीयक धौलपुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति,

जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

प्रमाणित प्रति उनवानी दावा हुकम सिहं बनाम ओमप्रकाश, प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. ए. हुकम सिंह बनाम ओमप्रकाश, फोटो प्रति बयनामा दिनांक 10.7.1995, प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 14.3.2019 उनवानी हुकम सिंह बनाम ओमप्रकाश न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, प्रमाणित प्रति लिपि आर्डरशीट दिनांक 11.10.2018 से 14.03.2019 तक पेश किये।

रेस्पोडेण्ट ने अपनी टिप्पणी के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्टस् ने कभी भी बंटवारा करने के लिए मना नहीं किया। न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने विधि विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलाण्ट संख्या 1 को अपने हिस्से को विकय करने का पूर्ण अधिकार है। और उसने अपने ही हिस्से का विकय किया है। उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने विकय पत्र पंजीयन नहीं करने बाबत् या विकय नही करने बाबत् स्थगन आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए स्थगन आदेश जारी किया है, जिसके आधार पर रेस्पोडेण्ट ने विधि विरूद्ध तरीके से विकय पत्र पंजीयन नहीं करने के आदेश किये हैं। रिकार्ड में परिवर्तन न्यायालय के आदेश के बाद ही होगा तथा मौके की स्थिति जो स्थगन आदेश के दिन थी, उसको बदलने की अपीलाण्टस् की कोई मंशा नहीं है। अपीलान्टस् द्वारा विकय पत्र तहरीर कराकर कई बार रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 25.10.2018 को रेस्पोडेण्ट द्वारा विकय पत्र पर यह आदेश अंकित करते हुए अपीलान्टस् को वापिस कर दिया कि "विकेता ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद द्वारा बयनामा पेश किया, लेकिन वयनामा में वर्णित आराजी खसरा नम्बर पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा मौके पर रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है। उप पंजीयक एवं तहसीलदार एक ही पद है, उक्त भूमि पर स्थगन प्रभावी रहते हुये पंजीयन किया जाना उचित नहीं हैं, पंजीयन नहीं किया जा सकता मूल दस्तावेज वापिस किया जावे"। रेस्पोडेण्ट को किसी भी दस्तावेज को पंजीयन करने से मना करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक किसी भी न्यायालय द्वारा सम्बन्धित उप पंजीयक को प्रत्यक्ष रूप से किसी भी दस्तावेज का पंजीयन करने से पाबन्द नहीं किया जावे । रेस्पोडेण्ट द्वारा विकय पत्र को पंजीयन ना कर विकय पत्र पर जिस स्थगन आदेश का नोट लगाया है। वह स्थगन आदेश विकय पत्र में वर्णित आराजी पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा बटवारे के दावा हुकम सिंह बनाम ओमप्रकाश में दिया गया है। उक्त स्थगन आदेश से अपीलान्ट संख्या 1 के विवादित आराजी में निहित स्वत्व पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। न्यायालय उपखण्डाधिकारी में लम्बित दावा मात्र बटवारे का दावा है, जिसमें तहसीलदार को मात्र लैण्ड होल्डर की हैसियत से फोर्मल पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध किसी भी तरह की कोई दादर्शी नहीं चाही गई है एवं ना ही न्यायालय द्वारा तहसीलदार को प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह के स्थगन आदेश से पाबन्द किया है। अगर कोई स्थगन आदेश है तो उसका नोट नियम 39 के तहत लगाने का अधिकार है। स्थगन आदेश रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये

जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

रखने के लिए है, रिकोर्ड की यथास्थिति के लिए तहसीलदार को नामान्तकरण रोकने का अधिकार है। जिसके लिये अपीलान्टस् सहमत है अपीलान्टस् न्यायालय के निर्णय के मुताविक राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन कराने के लिय सहमत है। अपीलान्टस् न्यायालय उपखण्डाधिकारी के निर्णय के मुताविक राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन कराने के लिये भी सहमत है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक राजस्व रिकोर्ड में यथा स्थिति बनाये रखने के लिए सहमत है। अपीलान्टस् मात्र विक्रय पत्र को पंजीयन कराना चाहते हैं। न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2019 में अपने पूर्व निर्णय दिनांक 18.10.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किया है, गैर सायल (अपीलान्ट संख्या 1) विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल कर सकता है। दोनों पक्ष ता फैसला मूल बाद तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखेगें ।

रेस्पोडेण्ट के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। अपीलान्ट विकेता ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी तसीमों द्वारा विवादित आराजी के बेचान के बावत एक विक्रय पत्र मालियत 7,00,000/–रूपये केता शीला पत्नी रामनाथ, गुंड्डी पत्नी कोमल सिंह जाति ठाकुर निवासी तसीमों के हक में निष्पादित कर पंजीयन हेतु दिनांक 25.10.2018 को प्रस्तुत किया था, किन्तु उपरोक्त आराजी के बावत न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ के यहाँ विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 18.10.2018 से जारी स्थगन आदेश जारी किया गया कि विवादित आराजी के रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी 1.11.2018 तक बनायी रखी जावे। रेस्पोडेण्ट को जरिये तहसीलदार सैपऊ पक्षकार बनाया हुआ है। वर्तमान में उप पंजीयक एवं तहसीलदार एक ही आफिस में एक ही पद पर तैनात है और उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी बना हुआ था। उक्त प्रकार की अपनी पदीय स्थिति में न्यायालय के आदेश की पालना का ध्यान रखते हुए तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना से बचने का ख्याल रख कर सदभावना पूर्वक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विक्रय पत्र का पंजीयन किया जाना उचित नहीं मानते हुए पंजीयन नहीं किया जाकर मूल दस्तावेज पुस्तक संख्या 2 में दर्ज कर प्रस्तुत कर्ता विकेता को लौटा दिया गया।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट संख्या 1 खसरा नम्बर 313 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 322 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, कुल किता 2 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में 1/2 भाग एवं आराजी खसरा नम्बर 331 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, वाके ग्राम तसीमों में 1/4 भाग का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से मौके पर काबिज है।

जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर

2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 को अपने हिस्से को हर तरह से रहन, वय मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार है।
3. न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा अपील में वर्णित आराजी पर रिकोर्ड में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 18.10.2018 को स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसमें दोनों पक्षों को पाबन्द किया गया तथा स्थगन आदेश में उप पंजीयक को पाबन्द नहीं किया गया है। न ही स्थगन आदेश में रहन, वय, एवं मुन्तकिल नहीं करने हेतु कोई स्थगन आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन दस्तावेज को पंजीयन करने से मना करने का कोई अधिकार उप पंजीयक को नहीं है।
4. यदि किसी न्यायालय द्वारा पंजीयन करने पर स्थगन है और पंजीयन अधिकारी को पाबन्द कर रखा है तो उक्त स्थगन आदेश के आधार पर पंजीयन से इन्कार करके दस्तावेज लौटा दिया जावेगा। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पंजीयन नहीं करने बावत कोई स्थगन आदेश नहीं हैं ना ही पंजीयन अधिकारी को पंजीयन नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। स्थगन आदेश मात्र रिकोर्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी किया गया है। पंजीयन अधिकारी (उप पंजीयक) द्वारा बिना पंजीयन किये दस्तावेज वापिस किया जाना नियम विरूद्ध है।
5. यदि किसी न्यायालय द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण के लिये पक्षकारों को ही पाबन्द कर रखा है तो भी पंजीयन नहीं रोका जा सकता, किन्तु उक्त तथ्य का नोट पृष्ठांकित करना आवश्यक है। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.102018 को स्थगन आदेश जारी कर दोनों पक्षों को रिकोर्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है, रहन वय मुन्तकिल करने पर कोई स्थगन आदेश नहीं है।
6. न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने अपने निर्णय दिनांक 14.3.2019 में अपने पूर्व निर्णय दिनांक 18.10.2018 को अपास्त करते हुए यह आदेश पारित किया है कि गैर सायल (अपीलान्ट संख्या 1) अपने हिस्से तक रहन वय मुन्तकिल कर सकता है तथा दोनो पक्ष ता फैसला मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें। अगर इस प्रकार के स्थगन आदेश की जानकारी पंजीयन अधिकारी को हैं तो पंजीयन अधिकारी वयनामा का पंजीयन कर स्थगन आदेश का नोट राजस्थान पंजीयन नियम 1955 की धारा 39 के तहत दस्तावेज के पृष्ठ भाग पर अकिंत करेगें।
7. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक 9/2009 के पैरा नम्बर 11 (VIII) में कहा गया है कि "जब तक किसी वाद के अन्तर्गत उप पंजीयक को पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय द्वारा दस्तावेज के पंजीयन के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा जारी नही की गई हो तब तक दस्तावेज के पंजीयन को नहीं रोका जावे। राजस्थान पंजीयन अधिनियम 1955 के नियम 39 के अन्तर्गत कोई तथ्य उप पंजीयक के ध्यान में आते है तो उक्त तथ्यों का अंकन दस्तावेज में धारा 60 की कार्यवाही के साथ करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जावे।
8. परिपत्र क्रमांक 5/2011 के पैरा नम्बर 22 में कथन किया गया है कि "किसी न्यायालय में लम्बित वाद में उप पंजीयक को पक्षकार बनाया गया है उसमें

जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के दस्तावेज के पंजीयन पर स्थगन आदेश दिया गया है तो दस्तावेज का पंजीयन ऐसे स्थगन आदेश के प्रभावी रहने तक नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में परिपत्र संख्या 9/2009 के बिन्दु सख्या 11 (VIII) में दिशा निर्देश जारी किये गये है कि जिन मामलों में प्रस्तुत वाद में उप पंजीयक को पक्षकार बनाया गया है, किन्तु दस्तावेज के पंजीयन पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के प्रावधान के तहत इस आशय का नोट अंकित करते हुए दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही सम्पादित की जावे।"

उपरोक्त परिपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी दस्तावेज के पंजीयन से तब तक इन्कार नही किया जा सकता, जब तक वाद में उप पंजीयक पक्षकार न हो तथा दस्तावेज के पंजीयन पर रोक नही लगी हो। इस प्रकरण में न तो उप पंजीयक पक्षकार है न ही दस्तावेज के पंजीयन पर कोई निषेधाज्ञा ही जारी की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रैस्पोडेण्ट उप पंजीयक सैपऊ द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.10.2018 विधि विरूद्ध एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है। जिसे निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रैस्पोडेण्ट उप पंजीयक सैपऊ द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.102018 को निरस्त किया जाता है तथा उप पंजीयक सैपऊ को असल बयनामा भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत वयनामे में राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के तहत नोट लगाते हुए विधिवत पंजीयन करें। असल बयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल सुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
धौलपुर